विहंगावलोकन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

31 मार्च 2018 को राजस्थान में 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिनमें तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं 40 सरकारी कम्पनियाँ (तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां सम्मिलित करते हुये) सम्मिलित थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के तहत थी। कार्यरत पीएसयूज ने नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 69516.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.27 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2018 को 43 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 127732 करोड़ था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल निवेश (₹ 40828.27 करोड़) का 94.40 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र ने प्राप्त किया।

1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का गठन

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (आरपीएसआरए 1999) को अधिनियमित (जनवरी 2000) किया, जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ विद्युत उद्योग के पुर्नगठन एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) की शक्तियों, कर्त्तव्यों एवं कार्यो को राज्य सरकार को एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों को हस्तान्तरण करने के लिए योजना तैयार करने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने तदनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) को विघटित करने के लिए राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तान्तरण योजना 2000 (आरपीएसआरटी योजना 2000) बनायी (19 जुलाई 2000) एवं आरएसईबी की परिसम्पत्तियाँ, सम्पत्तियाँ, उत्तरदायित्व, दायित्व, कार्यवाहियाँ एवं कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों को हस्तांतरित करना था। परिणामतः, ये पाँच ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 19 जुलाई 2000 से अस्तित्व में आई एवं आरएसईबी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ आरपीएसआरटी योजना 2000 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों के मध्य विभाजित की गई। राज्य सरकार ने तीन अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का गठन (एक कम्पनी का 2002-03 एवं दो कम्पनियों का 2015-16 में) किया। इन आठ कम्पनियों के अलावा, सात अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां सहायक कम्पनियों के रूप में नवंबर 2006 से जनवरी 2012 तक निगमित की गयी थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2018 को राज्य में 15 ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां थीं। इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानो के

अंतर्गत की जाती है। इन कम्पनियों के वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है, के अतिरिक्त सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती हैं।

इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से छः कम्पनियों ने 2017-18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की। इस प्रकार इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया है। सरकार को इन पीएसयूज की व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

नवीनतम लेखों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 55605.46 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 6.62 प्रतिशत के बराबर था जो कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, 15 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 117215.41 करोड़ था। निवेश में पूँजी 35.73 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 64.27 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋण का 44.07 प्रतिशत (₹ 33204.48 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालीन ऋण का 55.93 प्रतिशत (₹ 42134.88 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का निष्पादन

इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 2013-14 में हुई ₹ 12678.18 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2017-18 में अर्जित लाभ ₹ 2750.85 करोड़ था। इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम लेखों के अनुसार, सात कम्पनियों ने ₹ 2994.36 करोड़ का लाभ कमाया एवं चार कम्पनियों को ₹ 243.51 करोड़ की हानि हुई। शेष चार कम्पनियों को वर्ष 2017-18 के दौरान मामूली नुकसान हुआ। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियाँ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1199.08 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 943.16 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 607.26 करोड़) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 195.71 करोड़) थी जबकि गिराल लिग्नाईट विद्युत लिमिटेड (₹ 241.45 करोड़) को काफी हानि हुई थी।

31 मार्च 2018 को विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का संचित घाटा ₹ 98929.72 करोड़ के मुकाबले समग्र पूंजी निवेश ₹ 41876.05 करोड़ था। इन 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से निवल सम्पत्तियों का क्षरण मुख्य रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (₹ -22341.63 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ -22116.53 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ -20551.94 करोड़) एवं गिराल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (₹-570.59 करोड़) था।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित राज्य डिस्काम्स (अर्थात जेवीवीएनएल/जेडीवीवीएनएल/ एवीवीएनएल) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर राज्य स्वामित्व ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए गए (27

जनवरी 2016)। उदय योजना एवं त्रिपक्षीय एमओयू के प्रावधानों के अनुसार 30 सितंबर 2015 को तीन राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 83229.90 करोड़) में से राजस्थान सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 62421.95 करोड़ के कुल ऋण का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने उसी अवधि के दौरान ₹ 8700 करोड़ की पूँजी प्रदान की एवं ₹ 9000 करोड़ का अनुदान दिया। शेष ₹ 44721.95 करोड़ की राशि जिसे उदय स्कीम के अन्तर्गत ऋण में परिवर्तित किया गया था, को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में पूँजी एवं अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। इस राशि के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने 2017-18 के दौरान ₹ 3000 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 12000 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जबकि शेष ऋण राशि को बाद के वर्षों में राजस्थान सरकार की बजट स्वीकृति के अनुसार परिवर्तित किया जाना था।

लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिये गये 15 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आठ लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 12 प्रकरण थे।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात 'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं पाँच अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 309.05 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की प्रापण एवं सामग्री प्रबंधन कार्य सम्मिलित हैं।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012

राजस्थान सरकार ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 को लागू (मई 2012) किया और आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के तहत अधिसूचित (जनवरी 2013) किया। अधिनियम ने माल, सेवाओं और कार्यों की प्रापण से संबंधित सभी विद्यमान नियमों और विनियमों को निरस्त कर दिया। हालांकि, कम्पनी ने अधिनियम/नियमों के अनुसार क्रय नियमावली और मानक बोली दस्तावेज को संशोधित नहीं किया।

सामग्री की आवश्यकता का आंकलन

कम्पनी ने सामग्री की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वृत्त कार्यालयों और उप-स्वण्डों ने जोनल कार्यालय को कार्य-वार/उप-स्वण्डों वार सामग्री की आवश्यकता नहीं भेजी। मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) ने जोनल मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत एडहॉक आवश्यकताओं के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कीं, जो फील्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को इंगित नहीं करती थी।

निविदाओं को अंतिम रूप देना

चयनित 69 निविदाओं की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने 40 निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित समयावधि से परे अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में 20 महीने तक की देरी हुई। इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी ने अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देकर क्रय नियमावली का उल्लंघन किया।

सामग्री की खरीद में दक्षता और प्रभावशीलता

कम्पनी ने ₹ 13.62 करोड़ मूल्य के प्रीपेड एनर्जी मीटरों की स्वरीद की जिनमे ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा नहीं थी। भारत सरकार (जीओआई) के आदेश/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.54 करोड़ मूल्य के ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय किया। इसके अलावा, ऐसे मामले भी मिले, जहां कम्पनी ने उचित आवश्यकता और स्टॉक की उपलब्धता का आंकलन किए बिना निर्धारित वितरण अनुसूची से पहले सामग्री को स्वीकार किया और उच्च दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए पुनः क्रय आदेश दिए।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को तय नहीं किया और न तो मूल्य विश्लेषण और न ही चलन विश्लेषण किया। भंडारण दर भंडारण पर वास्तविक व्यय के आधार पर तय नहीं की गई थी। सहायक कंट्रोलर ऑफ़ स्टोर्स (एसीओएस) और उपस्वण्डीय स्टोर्स ने निर्धारित प्रारूप में सामग्री के रिकॉर्ड को नहीं बनाया। सभी चयनित एसीओएस में उप-स्वण्डों द्वारा प्रस्तुत इंडेंट में कार्य पहचान ज्ञापन का संदर्भ नहीं था और सामग्री, अनुमान कार्डो की प्रस्तुति के बिना जारी की गई थी। चयनित उप-स्वण्डीय स्टोर में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जॉब कार्ड, ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर और सामग्री, अनुमान कार्ड नहीं रस्वे गए थे।

कम्पनी ने एसीओएस और उपस्वण्डीय स्टोर्स में सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अंतर्गत आने वाली अवधि एक से चार वर्ष के मध्य थी। नमूना जाँच की गई 15 में से 12 उपस्वण्डों में पिछले दस वर्षो के दौरान स्टोरों के भौतिक सत्यापन नहीं किये गए थे।

निष्क्रिय सामग्री, भंडारण, अधिशेष और कमियां और चोरी, आग और गबन

कम्पनी ने केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में सामग्री को परीक्षण के बिना, टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 10.47 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया और इसे बिना उचित अनुमोदन के उप-स्वण्डों द्वारा उपयोग किया गया। साथ ही, स्टोर्स में ₹ 1.24 करोड़ की अधिशेष सामग्री अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री की प्रापण की और

एसीओएस और उपस्खण्ड स्टोरों में ₹ 9.11 करोड़ के मूल्य की सामग्री, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कमी के कारण अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

एसीओएस और उपस्खण्डीय स्टोर्स ने न तो निर्धारित निर्देशानुसार रिकॉर्ड बनाया और न ही सामग्री को स्टैक किया। स्टॉक सत्यापनकर्ताओं ने सभी एसीओएस के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मार्च 2017 को ₹ 0.96 करोड़ की असमायोजित कमियां और ₹ 1.11 करोड़ की अधिशेष को इंगित किया। निर्धारित अभिलेखों का रखरखाव न करना, सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमी और सामग्री के अनुचित भंडारण से गबन और आग लगने पर सामग्री के नुकसान के अवसर प्रदान किए गए। इसके अलावा, कम्पनी ने उपस्खण्डीय भण्डारों पर सामग्री का बीमा नहीं किया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में आठ सिफारिशें सम्मिलित हैं यथा (i) आरटीपीपी अधिनियम 2012 और नियमों के अनुसार क्रय नियमावली का पुनरीक्षण, (ii) सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे आवश्यकता के अनुसार क्रय को सुनिश्चित किया जा सके, (iii) निर्धारित समय सीमा के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना, अंतिमीकरण में देरी के मामलों में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करना, निविदाओं के लिए और अनुबंधों को जारी करने के लिये निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना, (iv) निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना और उचित नियंत्रण एवं निगरानी के लिये निर्धारित सामग्री के अभिलेखो को बनाए रखना, (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना, (vii) आई टी आधारित सामग्री प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, और (viii) समय पर अवशिष्ठ सामग्री का निपटान करना ।

3. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण दो प्रकरणो में ₹ 30.57 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

(अनुच्छेद 3.4 एवं 3.5)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण दो प्रकरणो में ₹ 143.30 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की विफलता दर विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अधिकतम

विफलता दर की तुलना में अधिक थी। डीटी का आवश्यकता आंकलन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जारी योजना/कार्य की वास्तविक मांग के आधार पर नहीं किया गया था। कम्पनियां ट्रांसफॉर्मर्स जो कि गारंटी अवधि के अंतर्गत विफल हुए है, को जमा कराने में त्वरित नहीं थी। अधिक मात्रा में ट्रांसफॉर्मर्स कम्पनियों के भण्डार गृहों में एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े हुए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ब्याज/संयत्र का बीमा/परियोजना के उपकरणों को क्रय करने के लिए ₹ 90.64 करोड़ व्यय करने से पूर्व रामगढ़ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (चरण-4) के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। कम्पनी ने संयंत्र/उपकरणों पर भी ₹ 107.41 करोड़ व्यय किये जो अनुपयोगी रहे एवं ₹ 103.87 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियां भी थी।

(अनुच्छेद 3.2)

कोयला आपूर्ति अनुबंध में उचित प्रावधान ना होने के कारण, **राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड** कोयला आपूर्ति कम्पनियों से ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभार की वसूली नही कर सकी।

(अनुच्छेद 3.3)

4. सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को राजस्थान में 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिनमें 22 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (समस्त कम्पनियां) थी। वर्ष 2017-18 के दौरान नवीनतम वित्तीय लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयूज ने ₹ 13911.21 करोड़ के टर्नओवर को प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.66 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार के हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, 28 उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 10516.59 करोड़ था। निवेश में पूँजी 34.14 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 65.86 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालीन ऋण, कुल दीर्घकालीन ऋण का 27.96 प्रतिशत (₹1936.85 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालीन ऋण का 72.03 प्रतिशत (₹ 4989.87 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का कार्य निष्पादन

कार्यरत पीएसयूज द्वारा 2013-14 में ₹ 447.84 करोड़ के अर्जित लाभ के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हानि में अधिक वृद्धि के कारण 2017-18 में ₹ 928.35 करोड़ की हानि वहन की गई। नवीनतम लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 19 पीएसयूज ने ₹ 350.08 करोड का लाभ कमाया एवं छः पीएसयूज ने ₹ 1278.43 करोड़ की हानि वहन की ।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 109.68

करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 23.51 करोड़) थी जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 1169.76 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 90.12 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप दिये गये 14 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के पाँच प्रकरण थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2018 को तेरह कार्यरत पीएसयूज के 17 लेखे बकाया थे जिसमे एक अकार्यरत पीएसयू के तीन लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज को बंद किये जाने के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

5. राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण एक प्रकरण में ₹ 38.85 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

(अनुच्छेद 5.1)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण एक प्रकरण में ₹ 4.50 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 5.2)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने आवंटियों को नोटिस समय पर जारी नहीं किये जो कि निर्माण कार्य पूरा करने एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ करने में असफल रहे थे। ईकाई कार्यालयों ने निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियां प्रारंभ करने से संबंधित समय सीमा निगरानी के लिये सहीं रूप से डेटाबेस नहीं बनाया था। ऐसे प्रकरण ध्यान में आये जिनमें कम्पनी ने नियमानुसार प्रतिधारित प्रभारों की वसूली नहीं की एवं प्रतिधारित प्रभारों में बिना उचित कारणों के छूट प्रदान की गई थी।

(अनुच्छेद 5.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने भूमि को रियायती दरों पर आंवटन आदेश जारी करने से पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा लागत के अंतर की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की।

(अनुच्छेद 5.2)